FORM 111

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

पताशी देवी वगै0 बनाम आशा देवी वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 133 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/161

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23-04-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से श्री रामसिंह गुर्जर एड. उपस्थित। वकिल प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकिल प्रार्थीगण ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा वकिल प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थीगण के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 818 राजस्व ग्राम चला पटवार हल्का चला तहसील नीमकाथाना का बेचान न करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.05.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:35:42 IST
Reason: SelfAttested

18/8/2025

पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उपस्थित।
पत्रावली वास्ते पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18.8.25
को पेश हो।

पत्रावली […] अभिभाषक संघ
[…] का स्थगन का
आज अदालत […] आदेशानुसार
रखा है
दिनांक 6/11/25

— करण सींह

— Sonu

(R)

07/10/2025

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रा०पत्र टी० आई० विड्रा करने हेतु दिनांक 26/9/25 को प्रा०पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रकरण का निस्तारण आज ही करवाने की कृपा करें। वकील प्रार्थीगण का प्रा० पत्र बाबत T.I. विड्रा स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार कर प्रा० पत्र टी० आई० इसी स्तर पर [illegible] की जाती है। पत्रावली के सल [illegible] होकर [illegible] से काम हो तथा बाद [illegible] दाखिल [illegible] हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Ve
Digitally signed by Ra
Yadav
Date: 2025.10.28 12:
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)